(To be published in Part-II, Sub-section (ii) of Section 3 of the Gazette of India)

F.No. L-11012/2/2003-L&M
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi Dated | Movember, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred vide sub-section (1) of Section 4 of the Multi State. Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and in supersession of the Government of India Notification No. L-11012/2/2003-L&M dated 11th October, 2018, the Central Government hereby appoints Shri Vivek Aggarwal, IAS (MP:94), Joint Secretary (Cooperation) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, as the Central Registrar of Cooperative Societies with immediate effect and until further orders.

(Shekhar Bose)

Under Secretary to the Government of India

То

The General Manager Government of India Press Mayapuri, Ring Road New Delhi. [भारत के राजपत्र के भाग ।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

सं. एल-11012/2/2003-एल एवं एम भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक 🍴 नवम्बर, 2019

<u>अधिसूचना</u>

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के खंड 4 के उपखंड (I) द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना सं. एल-11012/2/2003-एल एवं एम दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एततद्वारा श्री विवेक अंग्रवाल, IAS (MP:94), संयुक्त सचिव (सहकारिता) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के रूप में नियुक्त करती है।

(शेखर बोस)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली ।